न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27 / 2024

उनवान

पन्नालाल पिता बदरीया लबाना जाति लबाना निवासी भीमसौर तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

–: प्रार्थी।

बनाम

तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

–: अप्रार्थी।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 19.8.2025

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वेनम्बर 461 रकबा 0.24 हे0 खाता संख्या 226 गांव भीमसौर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी के पिता श्री बदरीया पिता पेटीया के नाम भूमि संवत् 2025 से 2030 में दर्ज रेकॉर्ड होकर प्रार्थी के पिता का नाम बदरीया दर्ज है लेकिन संवत् 2038 से राजस्व रेकॉर्ड में सेटलमेन्ट के दौरान बदरीया का सेवन से बदीया कर दिया गया है। प्रार्थी ने जब अपनी भूमि को विकसीत करने बैंक से लोन लेने के लिए जब राजस्व रेकॉर्ड की नकल प्राप्त की तो उक्त त्रुटी सामने आई। राजस्व रिकार्ड में बदीया के स्थान पर बदरीया दर्ज किये जाने बाबत् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी का जवाब पेश हुआ। भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थी पन्नालाल के पिता का नाम राजस्व रेकार्ड व मौका जांच अनुसार बदरिया है जो कि प्रार्थी के अन्य खाते की भूमि में बदरिया के नाम से दर्ज है लेकिन खाता संख्या 226 के आराजी नम्बर 461 रकबा 0.24 हे. भूमि में बदिया पिता पेरिया दर्ज है जो कि अन्य खातो के अनुसार बदरिया पिता पेरिया होना था। प्रार्थी के पिता बदरिया पिता पेरिया के नाम भूमि संवत् 2025 से 2030 में दर्ज था लेकिन सवंत् 2038 वक्त सेटलमेंट के दौरान बदरिया का सेवन से बदिया कर दिया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संलग्न दस्तावेज नकल जमाबंदी संवत 2075 – 2078, नामान्तरण, ग्राम भीमसौर की जमाबंदी संवत् 2032–2035, भू–प्रबंध विभाग का खसरा प्रपत्र संवत् 2038, प्रार्थी व उसके पिता के आधार कार्ड की प्रति, प्रार्थी के राशन

Scanned with OKEN Scanner

कार्ड की प्रति, प्रार्थी के पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र व प्रार्थी के बैंक पासबुक की प्रति तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । उक्त समस्त दस्तावेजो एवं तहसीलदार, गढ़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रार्थी के पिता का नाम बदरिया है। राजस्व रिकार्ड में बदिया की जगह बदरीया किया जाना उचित है।

अतः पटवार हल्का भीमसौर के मौजा भीमसौर की खाता संख्या 226 नया, 218 के खसरा संख्या 461 रकबा 0.24 हे0 पुराना में खातेदार बदिया पिता पेरीया को सही कर बदरीया पिता पेरीया दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 19.8.2025 को सरे इजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:33:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner